न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 286 / 2018

1. बनवारी
2. महेन्द्र सिंह
3. गांधी
4. भागीरथ
5. बृजलाल

} पिसरान मल्लू पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी कनवानी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

6. राय सिंह
7. मदन
8. सुमन

} पिसरान श्योपाल जाति जाट निवासी कनवानी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

——अपीलार्थीगण

बनाम

1. हरचन्द पुत्र ईशर, जाति जाट निवासी कनवानी, तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. हरीराम पुत्र ईशर, जाति जाट निवासी कनवानी, तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. स्वराज सिंह पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी चमारखेड़ा तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)।
4. बलजीत कौर पत्नी अमरीक सिंह, जाति जाट निवासी तारासिंहवाली ढाणी ममेरा, तहसील एलनाबाद (हरियाणा)।
5. बन्त कौर पत्नी स्वराज सिंह [illegible] तहसील रानिया जिला सिरसा (हरियाणा)।
6. वीरपाल कौर पत्नी श्री बलजिन्द्र [illegible] खेड़ा तह[illegible] डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.09 14:57:32 IST
Reason: SelfAttested

[signature]

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

7. सुरजीत कौर पत्नी लालचन्द जाति जाट निवासी चमारखेड़ा, तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)।

8. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार रावतसर जिला हनुमानगढ़।

—— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी रावतसर, दिनांक 19.02.2014, प्र. सं. 15/2012

उपस्थितिः–

श्री नरेन्द्र शर्मा, अभिभाषक अपीलार्थीगण
श्री लालचन्द वर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
श्री विजय कुमार कौशिक, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2
श्री , राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक 07.04.2021

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सहायक कलैक्टर नोहर द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15एएए के तहत दिनांक 31.10.88 को प्रकरण संख्या 780/87 में ईशर व उनके पुत्रों को चक 2 डी डब्ल्यू डी, 3 डी डब्ल्यू डी, चक 3 सी वाई एम, 14 बी पी एम, 15 बी पी एम व चक 12 के एम की 123/0.2 बीघा भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। उक्त आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील संख्या 326/94 सरकार बनाम ईशर आदि व अपील संख्या 168/94 हरचन्द बनाम स्टेट आदि पेश होने पर इस न्यायालय द्वारा दि[illegible] अपीलें खारिज कर दी।

2. इस न्यायालय के आदेश दिनांक [illegible] माननीय राजस्व मण्डल में दो निगरानियां 224/97 हरचन्द बनाम स्टेट आदि व 341/97

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.09 14:57:32 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

सरकार बनाम ईशर आदि पेश होने पर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 16.05.2005 को निगरानी संख्या 341/97 स्वीकार कर इस न्यायालय का आदेश दिनांक 23.08.1997 व सहायक कलैक्टर नोहर का आदेश दिनांक 31.10.1988 को निरस्त कर प्रकरण सहायक कलेक्टर नोहर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि धारा 15एएए के सब क्लॉल–2(ए) के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए तथा सीलिंग सम्बन्धी प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पुनः सभी पक्षकारों एवं राज्य सरकार को सुनकर निर्णय पारित किया जावे। साथ ही हरचन्द द्वारा प्रस्तुत निगरानी संख्या 224/97 खारिज कर दी।

3. माननीय राजस्व मण्डल के निगरानी में पारित आदेश दिनांक 14.05.2005 के विरूद्ध हरचन्द बनाम सरकार आदि द्वारा नजरसानी प्रार्थना पत्र संख्या 2490/2005 एवं नजरसानी संख्या 2699/2005 हरीराम बनाम सरकार आदि पेश होने पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में दिनांक 15.10.2005 को उक्त दोनों ही नजरसानी प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

4. हरचन्द द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष एस बी सिविल याचिका संख्या 689/2006 पेश की गई। उक्त याचिका का माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 02.02.2012 को इस आधार पर किया कि पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो चुका है एवं याचिका वापिस लेने के आधार पर खारिज की जाती है।

5. दिनांक 13.08.2012 को उपखण्ड अधिकारी रावतसर के समक्ष हरचन्द व हरीराम ने सी पी सी की धारा 151 का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि पक्षकारों के मध्य राजीनामा होने के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय से याचिका वापिस ले ली है। अतः राजीनामा के अनुसार बटवारा के हिसाब से पत्रावली को पेशी में ली जाकर निस्तारण किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.09 14:57:32 IST
Reason: SelfAttested

6. प्रार्थना पत्र पेश होने पर उपखण्ड अधिकारी रावतसर ने दिनांक 09.08.2012 को पत्रावली पेशी में ली जाकर मूल पत्रावली तलब की जाकर सुनवाई करने

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

के पश्चात् दिनांक 19.02.2014 को अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने यह अपील पेश की है।

7. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

8. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने, बिना पक्षकार बनाये पारित किया गया है, जबकि अपीलांट के पूर्वजों के नाम से भी धारा 15एएए के तहत खातेदारी प्रदान की गई थी। तथाकथित राजीनामा में अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया, न ही सुना गया। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया था वह आदेश आज भी यथावत है। रिमाण्ड प्रकरण को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय ने रिमाण्ड प्रकरण में दिये गये निर्देशों की पालना में कोई आदेश पारित नहीं किया। माननीय उच्च न्यायालय में हुए राजीनामें को आधार मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका राजीनामा के आधार पर खारिज की गई है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने, बिना पक्षकार बनाये पारित किया गया है जिससे अपीलांट प्रभावित पक्षकार है। अपील पेश करने की अनुमति बाबत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी पेश किया है, जो स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए अपीलांट के नाम 19 बीघा भूमि का बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित कर नाम कलमजन किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.09 14:57:32 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

9. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में कथन किया कि माननीय उच्च न्यायालय में पक्षकारों द्वारा राजीनामा पेश किया था एवं राजीनामा के आधार पर याचिका वापिस ली गई थी एवं उसी राजीनामा के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलांट अपीलाधीन आदेश से किसी भी प्रकार से प्रभावित पक्षकार नहीं है। अपीलांट के पूर्वज द्वारा कभी भी विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को चुनौती नहीं दी है, इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सी पी सी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का जवाब पेश करते हुए कथन किया कि अपीलांट ने दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में जो तथ्य अंकित किये है वह विश्वसनीय नहीं है। ऐसी स्थिति में मियाद के बिन्दु पर भी अपील खारिज किये जाने योग्य है।

10. गुणावगुण पर बहस करते हुए वकील रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामा के आधार पर जो आदेश पारित किया है उसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलांट गुणावगुण के आधार पर खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज की जावे।

11. बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

12. अपीलांट द्वारा अपील पेश करने की अनुमति बाबत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उसका जवाब रेस्पोडेंट द्वारा दिया गया है। अपने जवाब में रेस्पोडेंट ने कथन किया है कि मल्लू ने अपने जीवन काल में विवादित भूमि से सम्बन्धित विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को कभी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी है। इससे अपीलांट तृतीय पक्षकार के रूप में अपील पेश करने का अधिकारी नहीं है। चुंकि रेस्पोडेंट ने अपने जवाब में यह माना है कि अपीलांट के पूर्वज मल्लू ने अपने जीवन काल में विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को चुनौती नहीं दी है। चुनौती नहीं दिये जाने से यदि अपीलांट को भूमि में कोई हक व हिस्सा बनता है, तो उससे अपीलांट को महरूम नहीं किया जा सकता।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.09 14:57:32 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

रेस्पोडेंट ने ऐसा कथन नहीं किया कि अपीलांट के पूर्वजों को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15एएए के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये गये थे। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार है एवं उसके द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 96 सी पी सी में जो तथ्य अंकित किये हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

13. अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 19.02.2014 के विरूद्ध दिनांक 03.08.2018 को पेश की है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये है, उनका खण्डन रेस्पोडेंट द्वारा प्रत्युतर मय शपथ पत्र पेश कर किया गया है। जैसा कि ऊपर अंकित किया जा चुका है कि अपीलाधीन आदेश से अपीलांट प्रभावित पक्षकार है। उसे बिना सुने एवं बिना पक्षकार बनाये आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

14. जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत निगरानी संख्या 224/97 हरचन्द बनाम सरकार आदि एवं निगरानी संख्या 341/97 सरकार बनाम ईशर आदि का निर्णय दिनांक 16.05.2005 को किया जाकर सरकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया गया था। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका संख्या 689/2006 हरचन्द बनाम स्टेट आदि पेश होने पर दिनांक 02.02.2012 को याचिका वापिस लेने के आधार पर खारिज कर दी गई। इससे स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय से याचिका वापिस लेने पर माननीय राजस्व मण्डल का आदेश दिनांक 16.05.2005 बहाल रहा। माननीय राजस्व मण्डल के उक्त आदेश की पालना में ही अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय पारित किया जाना था, जो नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 19.02.2014 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.09.09 14:57:32 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

पूर्व आदेश दिनांक 31.10.1988 में संशोधन कर पूर्व आदेश को यथावत रखा है, जबकि दिनांक 31.10.1988 का आदेश माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निरस्त किया जा चुका था एवं नये सिरे से माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में ही अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय को पारित किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया है।

15. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर का आदेश दिनांक 19.02.2014 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.05.2005 में दिये गये निर्देशों की पालना में, अपीलार्थीगण को पक्षकार बनाते हुए सभी सम्बन्धित पक्षकारों को सुनकर विधि अनुसार पुनः निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.04.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7/4/21

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2021.09.09 14:57:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner